प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.05.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. अवैध चरस व तमंचा-कारतूस के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र/मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2024 की रात्रि को उ0नि0 विनीत कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त तेजराम पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम धनियाखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को अवैध 180 ग्राम चरस के साथ तथा उ0नि0 साहब सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त अनूप पुत्र बहादुर निवासी ग्राम धनियाखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना बिलारी पर अभियुक्त तेजराम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 290/2024 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट, व अभियुक्त अनूप उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 291/2024 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

2- जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर करने की साजिश में सम्मिलित होने का आरोपी गिरफ्तार थाना कोतवाली नगरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2024 को वादी निवासी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद ने आरोपी द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर घायल कर देने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 83/2024 धारा- 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 16.05.2024 को उ0नि0 गौरव कुमार थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के उक्त घटना की साजिश में सम्मलित आरोपी देवीदास उर्फ बबलू पुत्र मूल चन्द निवासी कटरा पूरन जाट कंजरी सराय थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 120बी भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. अवैध तमंचा-कारतूस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कोतवाली नगरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2024 को उ0नि0 गौरव कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त महेश यादव पुत्र भोलानाथ निवासी जाटव बस्ती थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 85/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 172/2022 धारा 302/34 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 180/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद।

4. सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 03 आरोपी गिरफ्तार थाना कांठः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2024 को व0उ0नि0 सुभाषचन्द थाना कांठ जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1.मौ0 मुनस्सर पुत्र अब्दुल माबुद्ध निवासी ग्राम मलकपुर सैमली थाना ठाकुरद्वारा जनपदमुरादाबाद, 2. सलीम पुत्र मेहन्दी हसन निवासी मौ0 पटटीवाला कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद, 3. मौ0 सुभान उर्फ कल्लू पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मौ0 चौक बाजार कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। मौके पर अभियुक्तगण के कब्जे से 52 पत्ते ताश व 3900 रूपये बरामद किये गये। इस संबंध में थाना कांठ पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 178/2024 धारा- 13जी एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

5. अवैध स्मैक के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्सः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र/मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एंव संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.05.2024 को उ0नि0 अरूण कुमार वर्मा थाना सिविल लाईन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त आलम उर्फ तोतला पुत्र मशरूल अहमद निवासी चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद को अवैध 06 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-440/2024 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

6. जनपदीय पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के 19 आरोपियो को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.05.2024 को **थाना कुन्दरकी पुलिस** द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग कर रहे आरोपीगण 1.सत्येन्द्र सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी खनुपुरा उर्फ खिताबपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद, 2. अमजद खान पुत्र शहाबजान खाँ, 3. कादिर खाँ पुत्र अमजद खान निवासीगण ग्राम रचैटा थाना असमौली जनपद सम्भल, 4. नफीस अहमद पुत्र घासी खाँ 5. मौ0 अज्जम हुसैन पुत्र नफीस अहमद 6. मौ0 आसिफ पुत्र नफीस अहमद निवासीगण मौहल्ला सादात पश्चिमी डींगरपुर रोड थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद, 7.गुलिस्ता पत्नी शमीउल इस्लाम निवासी ग्राम लाईनपार कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद 8. मनोहर सिंह पुत्र अमर सिंह, 9. अमित पुत्र मनोहर सिंह निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद, 10. आकिल पुत्र इकबाल हुसैन निवासी ग्राम इमरतपुर फखरुद्दीन थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को **थाना कांठ पुलिस** द्वारा 1.पिताम्बर पुत्र रामलाल सिंह, 2.राजपाल पुत्र बलकरन सिंह निवासीगण ग्राम नया गांव अकबरपुर चैदरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद, 3. भारत सिंह पुत्र चौखे सिंह निवासी ग्राम दरियापुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 4.सोनू पुत्र छोटे सिंह, 5. शिवलाल पुत्र मौजी राम निवासीगण ग्राम मिश्रीपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद अभियुक्ता 6. श्रीमति रुमन पत्नी श्री पिताम्बर, 7. श्रीमति ममता पत्नी राजपाल निवासी गण ग्राम नया गांव अकबरपुर चैदरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को **थाना कटघर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. मुबारिक उर्फ मुबारक पुत्र नसीम अहमद, 2. युसूफ पुत्र नसीम अहमद निवासीगण गुलाबबाड़ी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं शान्तिव्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 151/107/116 Cr.P.C में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।